

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-1
संख्या-2167/VII-1/30 ख/2004
देहरादून: दिनांक 10 अक्टूबर, 2018

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

मै० जागनाथ मिनरल के पक्ष में ग्राम बखेत जगथली, पट्टी बल्ला कमस्यार, जनपद बागेश्वर में 9.50 एकड़ अर्थात् 3.85 है० क्षेत्रफल में शासनादेश संख्या-1266/VII-1/30-ख/2004, दिनांक 12 अगस्त, 2016 द्वारा हस्तान्तरित सोपस्टोन के खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी, काण्डा द्वारा दिनांक 10.4.2018 को किये गये स्थलीय निरीक्षण में पायी गई अनियमितताओं के संबंध में आपके पत्र संख्या-890/तीस-77/2015-16, दिनांक 18.4.2018 के क्रम में शासन के पत्र संख्या-1061/VII-1/2018-30ख/04, दिनांक 17 मई, 2018 द्वारा मै० जागनाथ मिनरल को उक्तानुसार उनके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे में निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में लिखित अभिकथन शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके संबंध में श्री हरीश चन्द्र भट्ट, पार्टनर, जागनाथ मिनरल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिउत्तर/लिखित अभिकथन दिनांक 29.5.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-60 के प्रावधानानुसार पट्टाधारक को अपना पक्ष रखे जाने हेतु सुनवाई का अवसर देते हुए शासन स्तर पर सम्यक् निर्णय लिये जाने हेतु अपर सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन के सचिवालय परिसर में स्थित विश्वकर्मा भवन के पंचम तल पर अध्यासित कार्यालय कक्ष में दिनांक 23.10.2018 को अपराह्न 3.00 बजे सुनवाई आहूत की गई है।

अतः यह अनुरोध है कि उक्तानुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर होने वाली सुनवाई में संबंधित पक्ष मै० जागनाथ मिनरल, ग्राम आरतोला, पो० पनुवानौला, जनपद अल्मोड़ा को उपस्थित होने हेतु अपने स्तर से ससूचित करते हुए उक्त सुनवाई में कृपया प्रतिभाग करें अथवा अपने प्रतिनिधि को प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अर्पण कुमार राजू)
अनु सचिव

संख्या-2167(1)/VII-1/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निदेशक/अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि एवं समय पर निर्धारित सुनवाई बैठक में प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों सहित कृपया अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव, अपर सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सहायक भूवैज्ञानिक, बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त तिथि/समय पर निर्धारित सुनवाई बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
4. मै० जागनाथ मिनरल, ग्राम आरतोला, पो० पनुवानौला, जनपद अल्मोड़ा।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू)
अनु सचिव